

प्रेषक,

अतिरिक्त सिविल जज (सी०डि०)
बलिया

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन
अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ

द्वारा,


आदरणीय जनपद न्यायाधीश
बलिया

विषय:- उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुक्रम में शासनादेश सं०-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के प्रारूप में पुरानी पेंशन योजना को चुने जाने का विकल्प चुनने के बावत प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्ध में सादर निवेदन निम्नवत है:-

- 1- यह कि प्रार्थी संजय कुमार गोंड पुत्र श्री भगवान प्रसाद गोंड, वर्तमान में अतिरिक्त सिविल जज (सी०डि०) बलिया के पद पर कार्यरत है।
- 2- यह कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन सहायक अभियोजन अधिकारी-2002 के अन्तर्गत प्रार्थी की प्रथम नियुक्ति अभियोजन विभाग, उ०प्र० में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर दिनांक-28.03.2005 को हुआ था, जिसकी विज्ञप्ति सं०- ए-4/ई-1/2002 है जिसमें प्रार्थी के योगदान की तिथि दिनांक-11.04.2005 है।
- 3- यह कि प्रार्थी की न्यायिक सेवा में नियुक्ति दिनांक- 26.05.2006 को उ०प्र० न्यायिक सेवा-2003 के अन्तर्गत अपर सिविल जज(जू०डि०), गोरखपुर के पद पर जनपद न्यायालय, गोरखपुर में हुई। उक्त पद पर प्रार्थी के योगदान की तिथि दिनांक-01.08.2006 है। जिसका विज्ञापन सं०- ए-2/ई-1/2003 है। जिसके अनुक्रम में प्रार्थी वर्तमान में उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में अतिरिक्त सिविल जज (सी०डि०) बलिया के पद पर कार्यरत है।
- 4- यह कि प्रार्थी वर्तमान में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित है। किन्तु, प्रार्थी उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुक्रम में उ०प्र० सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना का वरण/चयन कर रहा है। जिसके लिए प्रार्थी द्वारा उ०प्र० शासन के उक्त शासनादेश




सं०-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के संलग्नक के रूप में जारी विकल्प-पत्र को भर कर पुरानी पेंशन योजना के विकल्प का चयन करते हुए, प्रस्तुत प्रत्यावेदन के साथ आदरणीय महोदय को प्रेषित किया जा रहा है।

अतः विनम्र निवेदन है कि उ०प्र० सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के अन्तर्गत "पुरानी पेंशन योजना" का लाभ प्रार्थी को प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

सादर,

दिनांक:- 01.10.2024

भवदीय


(संजय कुमार गोंड)

अतिरिक्त सिविल जज (सी०डि०)
बलिया।

संलग्नक:- उक्त शासनादेश सं०-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 द्वारा निर्धारित विकल्प-पत्र।

प्रतिलिपि- आदरणीय महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बलिया।

पत्रांक सं०- 4259/XV

दिनांक- अक्टूबर-01, 2024

✓ 1. अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन,
अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अग्रसारित।

4260/XV 2. आदरणीय महानिबन्धक माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रसारित।


जनपद न्यायाधीश
बलिया।

District Judge
Ballia


शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11
जुलाई, 2024 का संलग्नक-

विकल्प-पत्र

1.	नाम-	संजय कुमार गोंड
2.	वर्तमान पदनाम-	अतिरिक्त सिविल जज (सी0डि0), बलिया
3.	वेतनमान-	रु0- 144840 /- प्रतिमाह
4.	वर्तमान विभाग का नाम-	न्याय विभाग
5.	राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम-	अभियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
6.	विज्ञप्ति की तिथि-	25 जनवरी, 2003 (विज्ञापन सं0- ए-4/ई-1/2002)
7.	विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि-	11 अप्रैल, 2005
8.	योगदान की तिथि-	11 अप्रैल, 2005
9.	राज्य सरकार के अधीन वर्तमान नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम-	न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
10.	विज्ञप्ति की तिथि-	22-28 नवम्बर, 2003, रोजगार समाचार (विज्ञापन सं0-ए-2/ई-1/2003)
11.	विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि-	26.05.2006
12.	योगदान की तिथि-	01.08.2006
13.	जन्म तिथि-	10.11.1975
14.	सेवानिवृत्ति की तिथि-	30.11.2035

मैं, संजय कुमार गोंड पुत्र श्री भगवान प्रसाद गोंड शासनादेश संख्या- 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓)/नवीन पेंशन योजना (X) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।


हस्ताक्षर-
नाम-
पदनाम-


(संजय कुमार गोंड)
अतिरिक्त सिविल जज (सी0डि0)
बलिया
J.O.Code-UP6485

घोषणा-पत्र

मैं, संजय कुमार गोंड, अतिरिक्त सिविल जज (सी0डि0) बलिया, यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या- 01 से 14 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।


हस्ताक्षर-
नाम-
पदनाम-


(संजय कुमार गोंड) 01/10/24
अतिरिक्त सिविल जज (सी0डि0)
बलिया
J.O.Code-UP6485

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री संजय कुमार गोंड, अतिरिक्त सिविल जज (सी0डि0) बलिया को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **पुरानी पेंशन योजना (√)**/नवीन पेंशन योजना (X) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति


जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बलिया।

District Judge
Ballia